न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 57/2016

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर

..........*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री राजकुमार अरोड़ा पुत्र डॉ0 कमल अरोड़ा, मैसर्स– आदित्य एन्टरप्राइजेज, पीपलिया बाजार, ब्यावर।
2. अनुराधा अरोड़ा, मैसर्स– आदित्य एन्टरप्राइजेज, पीपलिया बाजार, ब्यावर।
3. मैसर्स– आदित्य एन्टरप्राइजेज, पीपलिया बाजार, ब्यावर।
4. Gireesha Neema (Nomini) M/S ITC Limited Office no 201 durlabh chambers D-24 Prithviraj Road, C-Scheme Jaipur.
5. M/S ITC Limited Office no 201 durlabh chambers D-24 Prithviraj Road, C-Scheme Jaipur.

........*अप्रार्थीगण*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (।।) एवं धारा 52 के तहत

उपस्थित :–श्री शिवांग्शु नवल, वकील अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की ओर से

<u>–: आदेश :–</u>

दिनांक– 21.12.2016

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण ने मिसब्राण्ड नूडल्स (प्रोप्राईटरी फूड) Yippie Brand विक्रय करके खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (।) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 05.06.2015 को 04.00 पी.एम. खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स आदित्य एन्टरप्राइजेज, पीपलिया बाजार, ब्यावर पर पहूँचे श्री राजकुमार अरोड़ा पुत्र डॉ0 कमल अरोड़ा मौके पर उपस्थित मिले जो आम जनता को नूडल्स (प्रोप्राईटरी फूड) Yippie Brand का विक्रय कर रहे थे। मौके पर लगभग 480 पैकिट नूडल्स (प्रोप्राईटरी फूड) Yippie Brand के रखे हुए थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान नूडल्स (प्रोप्राईटरी फूड) Yippie Brand में मिलावट का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 4 पैकिट (140 ग्राम X 4) नूडल्स (प्रोप्राईटरी फूड) Yippie Brand वास्ते नमूना जॉच हेतु 288/— रूपयें श्री राजकुमार अरोडा को नगद देकर गवाह श्री प्रेम चन्द्र शर्मा तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष कय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री राजकुमार अरोडा को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करके खरीदशुदा नूडल्स (प्रोप्राईटरी फूड) Yippie Brand के प्रत्येक पैकिट को अलग—अलग भूरे कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डीओ अजमेर के हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप चिपका कर लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक ए/1073 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी सें सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र कमांक एफएसएसए 2015/8905 दिनांक 03.08.2015 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/472/एक्ट /2015/472 दिंनांक 23.07.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया नूडल्स (प्रोप्राईटरी फूड) Yippie Brand मिसबाण्ड होना पाई गई। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 01.06.2016 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 01.06.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 08.07.2016 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी दिनांक 08.07.2016 को अप्रार्थीगण जरिये वकील उपस्थित हुये उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद मे वर्णित तथ्यों को पढ़कर अवगत करवाया। वकील अप्रार्थीगण ने उन पर लगाये गये आरोपो को सिरे से खारिज करते हुए जवाब नोटिस में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तर्क स्पष्टतः दुर्नियोजित, गलत, भ्रामक एवं सारहीन है। उनका कथन है कि मैसर्स आई.टी.सी. लिमिटेड विश्वसनीय विक्रेताओं द्वारा आपूर्ति किये गये कच्चे माल के साथ पिछले 6 वर्षों से सनफिस्ट यिप्पी पास्ता को नियमित रूप से परीक्षण और अंशाकन राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रयोगशाला (एन.ए.बी.एल.) एवं अधिकृत जीवन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र (एल.एस.टी.सी.) के आईटीसी के राज्य स्तर पर परीक्षण किया जाता है। इन सभी परीक्षणों में सनफिस्ट यिप्पी पास्ता मय बैच जिसमें से नमूने अधिकारियों द्वारा कथित रूप से लिये गये थे, वे

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

अंकित है बल्कि समस्त कार्यवाही श्री राजकुमार अरोड़ा की उपस्थिति में की गई है। अतः परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर कार्यवाही ड्रॉप की जावें।

हमने वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यान पूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन करने के साथ ही न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ एवं चूरू के आदेश दिनांक 28.12.2015, 4.10.2016 एवं 08.11.2016 का भी अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाद्य विश्लेषक ने अपनी जांच रिपोर्ट में नमूना किस कारण से मिसब्राण्ड हुआ है, इसका जांच रिपोर्ट में कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, इस कारण केवल खाद्य विश्लेषक के लिख देने मात्र से अप्रार्थीगण के विरूद्व मिसब्राण्ड का प्रकरण बनना नहीं पाया जाता है। परिवाद में वर्णित तथ्यों में परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कही भीं मिसब्राण्ड क्या है एवं किस कारण से है इस बात का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है तथा न ही खाद्य विश्लेषक द्वारा भी कोई स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा वरवक्त बहस उपस्थित नहीं रहने के कारण राज्य सरकार की ओर से पक्ष नहीं रखा जा सका है।

अतः उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत जबकि प्रार्थी स्वयं अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को औचित्यपूर्ण व तथ्यात्मक रूप से अधिनियम के प्रावधानानुसार सिद्व करने में असफल रहे है, इस प्रकरण की कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जब भी वह न्यायालय हाजा में प्रकरण प्रस्तुत करे तब प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी लेकर प्रस्तुत करें तथा वरवक्त बहस न्यायालय में उपस्थित रहकर सरकार की ओर से पैरवी करें। अन्यथा उनके विरूद्व नियमानुसार सख्त कार्यवाही करने हेतु लिखा जावेगा। इसके साथ ही अप्रार्थीगण को भी निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में उन्हें डाई पैनी एवं मसाला मिक्स के पाउच पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक पैकेजिंग एवं लेवलिंग अधिनियम 2011 की पालना में घोषणा अंकित करे ताकि उपभोक्ता के हित की रक्षा हो सके एवं उपभोक्ता को ज्ञान हो कि वे क्या खा रहे है। आदेशों की पालना सख्ती से की जावे।

आदेश आज दिनांक 21.12.2016 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

कमांक :सरिस्ता/अपर/2016/4415-17 दिनांक : 23.12.16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

2– अभिहित अधिकारी एवं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर

3– Gireesha Neema (Nomini) M/S ITC Limited Office no 201 durlabh chambers D-24 Prithviraj Road, C-Scheme Jaipur.

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

Scanned by CamScanner